मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय वल्लभ–भवन भोपाल

क्रमांक / प्रस. / स्वा.परी. / 2009 / 1938-20-3-09 भोपाल, दिनांक 9-9-09

प्रति,

1– **समस्त कलेक्टर,** मध्यप्रदेश।

2– **समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,** मध्यप्रदेश।

3– **जिला परियोजना समन्वयक** मध्यप्रदेश।

4– **सहायक आयुक्त,** आदिवासी विकास विभाग, म.प्र.

विषयः–शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 13 सितम्बर, 2009 को प्रत्येक विकास खण्ड मुख्यालय पर शिक्षकों का प्रशिक्षण सह स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श शिविर का आयोजन।

–0–

राज्य शासन द्वारा इस वर्ष दिनांक 13 सितम्बर, 2009 को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षकों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श हेतु विकास खण्ड स्तर पर एक दिवसीय शिविर का आयोजन किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग में कार्यरत् प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के शिक्षकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा।

इस संबंध में विस्तृत निर्देश इस प्रकार हैं :–

1– प्रशिक्षण सह स्वास्थ्य परीक्षण एवम् परामर्श शिविर का **आयोजन विकासखण्ड मुख्यालय के शास0 उत्कृष्ट उ0मा0वि0** अथवा जिला समिति द्वारा चयनित स्थान पर होगा।

2– शिविर का समय प्रातः 09:00 से सायं 06:00 बजे तक रहेगा।

3– प्रशिक्षण सह स्वास्थ्य शिविर के व्यापक प्रचार प्रसार एवं सुचारू संचालन के लिए जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर आवश्यकतानुसार समितियों का गठन किया जा सकता है।

4– विषयांकित विकासखण्ड स्तरीय शिविर का उत्तरदायित्व निम्नांकित का होगाः–

1. विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी **(बी0एम0ओ0)**
2. प्राचार्य, शास0 उत्कृष्ट उ0मा0वि0 विकास खण्ड मुख्यालय
3. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी **(बी0ई0ओ0)**
4. विकास खण्ड स्त्रोत समन्वयक **(बी0आर0सी)**

5– शिविर में नेत्र परीक्षण, रक्त परीक्षण (मधुमेह), हृदय संबंधी रोग (ब्लड प्रेशर) आदि का परीक्षण विशेषज्ञों द्वारा किया जाये इस हेतु परीक्षण प्रपत्र संलग्न है। शिविर में महिला चिकित्सकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाये। इस संबंध में संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक / अस्प.प्रशा. / 2009 / 950, दिनांक 07.09.09 के द्वारा प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं उनका पालन सुनिश्चित किया जाये। **पत्र की छायाप्रति संलग्न है।** (परि. 01)

6– प्रशिक्षण सह स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में लाभ लेने वाले शिक्षकों का पंजीयन अनिवार्य रूप से किया जाये जिसमें क्रमांक, नाम, उम्र, पद, पता, एवं रोग का संक्षिप्त विवरण दर्ज किया जाये। **शिक्षक पंजीयन के समय अपने दो पासपोर्ट साईज फोटो जमा करायेंगे।** विकास

खण्ड शिक्षा अधिकारी/बी.आर.सी. के माध्यम से स्वास्थ्य कार्ड तथा परिचय-पत्र शिविर के 15 दिवस के भीतर शिक्षकों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

7- प्रशिक्षण सह स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में स्थानीय योग विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जाये जिससे वे रोग निदान एवं योग क्रियाओं के बारे में शिक्षकों को मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण प्रदान कर सकें।

8- इसके अतिरिक्त डाईट के व्यक्ति दक्षता संवर्धन में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देंगे। हाईस्कूल एवं हायरसेकेण्ड्री के शिक्षकों को मासिक मूल्यांकन के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण विकासखण्ड मुख्यालय के प्राचार्य उत्कृष्ट विद्यालय द्वारा दिया जायेगा।

9- प्रशिक्षण सह स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श शिविर में सहयोग प्रदान करने वाले चिकित्सकों/अधिकारियों/संगठनों आदि को प्रशस्ति-पत्र भेंट कर सम्मानित किया जाये।

10- प्रशिक्षण सह स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का व्यय (फोटो परिचय-पत्र सहित) निम्नानुसार किया जायेगा :-

अ. कक्षा 1 से 8 के समस्त शिक्षकों का व्यय रू. 100/- प्रति शिक्षक के मान से सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत प्रशिक्षण मद की राशि से व्यय किया जायेगा।

ब. हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री के स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत् समस्त शिक्षकों का व्यय रू. 100/- प्रति शिक्षक के मान से लोक शिक्षण संचालनालय, (राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान, म.प्र. इकाई की निधि तथा शैक्षिक अभ्युत्थान के परीक्षा एवं प्रशिक्षण मद) के अन्तर्गत राशि व्यय की जायेगी।

आदिवासी जिलों में हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री के समस्त शिक्षकों का व्यय (फोटो परिचय-पत्र सहित) रू. 100/- प्रति शिक्षक के मान से आदिवासी विकास विभाग द्वारा व्यय किया जायेगा। इस संबंध में कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक/शि.स्था./2/183/09/18686, दिनांक 02.09.09 के द्वारा सहमति दी गई है। **पत्र की छायाप्रति संलग्न है।** (परि. 02)

11- संपूर्ण कार्यक्रम की समय सारिणी संलग्न है तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। (परि. 03)

प्रशिक्षण सह स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श शिविर समाप्ति उपरांत समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना समन्वयक/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग विकास खण्डवार समेकित प्रतिवेदन मय लाभान्वितों की संख्या, सहयोगियों की सूची, उपलब्धियों, फोटोग्राफ एवं व्यय विवरण आदि सहित आयुक्त, लोक शिक्षण/आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र/आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नः 1. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें का पत्र
2.. आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश का पत्र
3. कार्यक्रम की समय सारिणी
4. सामान्य परीक्षण प्रपत्र

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

9/9/09

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

पृष्ठां./क्रमांक/प्रस./स्वा.परी./2009/ भोपाल, दिनांक 9-9-09

प्रतिलिपिः– 1939-20-3-09

1– सचिव, मान0 मुख्यमंत्री, म.प्र. शासन, भोपाल।
2– स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव महोदय, म.प्र. शासन, भोपाल।
3– विशेष सहायक, मान0 मंत्री स्कूल शिक्षा, म.प्र.शासन, भोपाल।
4– विशेष सहायक, मान0 स्वास्थ्य मंत्री, म.प्र.शासन, भोपाल ।
5– प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।
6– सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल।
7– आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8– आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म. प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9– आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म. प्र. भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि आप अपनी ओर से भी आवश्यक निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।
10– आयुक्त, स्वास्थ्य संचालनालय, म. प्र. शासन, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि अपने स्तर से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को समुचित निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
11– आयुक्त, जनसंपर्क, म.प्र. भोपाल। कृपया उक्त समाचार का निःशुल्क प्रकाशन करवाने का कष्ट करें।
12– समस्त संभागायुक्त, राजस्व, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13– समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र. की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण सह स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श शिविर के व्यापक प्रचार प्रसार एवं प्रभावी संचालन में आवश्यक सहयोग प्रदान करें, एवं शिविर समाप्ति उपरांत जिलावार तथा विकासखण्डवार संभाग का समेकित संक्षिप्त प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को आवश्यक रूप से उपलब्ध करायें।
14– समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15– समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.।
16– समस्त प्राचार्य, डाईट म.प्र. की ओर प्रशिक्षण की आवश्यक तैयारी हेतु प्रेषित।
17– समस्त जिला परियोजना समन्वयक मध्यप्रदेश
18– समस्त विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी/विकास खण्ड स्त्रोत समन्वयक, म.प्र.।
19– आई.सी.टी. कक्ष राज्य शिक्षा केन्द्र की ओर सर्व शिक्षा अभियान की वेबसाईट/वेबपोर्टल में अपलोड हेतु।
20– श्री निशिकान्त जोशी कम्प्यूटर समन्वयक की ओर संचालनालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

9/9/09

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

प्रति० वरि. एफ

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश,
सतपुड़ा भवन, भोपाल

कमांक / अस्प.प्रशा. / 2009 / .... भोपाल / दिनांक 07–09–2009

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषयः–शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 13 सितम्बर, 2009 को प्रत्येक विकासखण्ड मुख्यालय पर शिक्षकों का प्रशिक्षण सह स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श शिविर का आयोजन।

राज्य शासन के निर्णयानुसार इस वर्ष 13 सितम्बर 2009 को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षकों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श हेतु विकासखण्ड स्तर पर एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाना है। इस हेतु विभाग के दिशा–निर्देश निम्नानुसार हैं:–

1. स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन विकासखण्ड मुख्यालय में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अथवा जिला समिति द्वारा चयनित स्थान पर होगा।
2. शिविर का समय प्रातः 9 बजे से सांय 6 बजे तक रहेगा।
3. स्वास्थ्य शिविर में प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल, हायरसेकेन्ड्री स्कूलों के शिक्षकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जावेगा।
4. स्वास्थ्य शिविर में यथासंभव नेत्र परीक्षण, रक्त परीक्षण, हृदय संबंधी रोगों की जांच की जाए। यथासंभव विशेषज्ञों एवं महिला चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे।
5. स्वास्थ्य शिविर में स्थानीय स्तर पर योग (योगा) विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जावे। इन्हें आमंत्रित करने का दायित्व शिक्षा विभाग का होगा।
6. स्वास्थ्य शिविर में आने वाले शिक्षकों के पंजीयन का दायित्व शिक्षा विभाग का होगा।
7. स्वास्थ्य शिविर के दिन इस बात का ध्यान रखा जावे कि इमरजेन्सी सेवायें प्रभावित न हों।
8. स्वास्थ्य शिविर में सामान्यतया सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण ही किये जाते हैं। जिन प्रकरणों में विशेष परीक्षण की आवश्यकता हो उन्हें नजदीक के जिला चिकित्सालय भेजकर जांच कराई जाए।
9. जो औषधियाँ विकासखण्ड चिकित्सालय में उपलब्ध हों उन्हें निशुल्क उपलब्ध कराया जावे, अनुपलब्ध औषधियों के बारे में शिक्षा विभाग / जिला समिति को अवगत कराया जावे।

(डॉ0 अशोक शर्मा)
संचालक, चिकित्सा सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ0 कमांक / अस्प.प्रशा. / 2009 / 950 भोपाल / दिनांक 07–09–2009

प्रतिलिपि:–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, म0प्र0 शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2. आयुक्त स्वास्थ्य, म0प्र0, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल
3. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, म0प्र0
4. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म0प्र0,
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0

(डॉ0 अशोक शर्मा)
संचालक, चिकित्सा सेवायें
मध्यप्रदेश

प्रति० (2)
पी.-45

105

कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

क्रमांक / शि.स्था. / 2 / 183 / 09 / 18686 भोपाल, दिनांक 2.9.09

प्रति,

आयुक्त,
लोक शिक्षण,
लोक शिक्षण संचालनालय,
म0प्र0भोपाल.

विषयः—शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 13 सितम्बर 2009 को प्रत्येक विकास खंड मुख्यालय पर शिक्षकों का प्रशिक्षण सह—स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श शिविर का आयोजन।

संदर्भः— आपका पत्र क्रमांक / विद्या / शिक्षक कल्याण / 234, दिनांक 31.8.09.

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। इस वर्ष दिनांक 13 सितम्बर 2009 को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में " शिक्षकों का प्रशिक्षण सह स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श शिविर" के आयोजन में आदिवासी जिलों के हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के समस्त शिक्षकों का व्यय रूपये 100/— प्रति शिक्षक के मान से आदिवासी विकास विभाग व्दारा व्यय किये जाने की सहमति है।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक,
आदिवासी विकास,
मध्यप्रदेश.

C:\Documents and Settings\sss\Desktop\rahil\seekacha est-2.doc

परि० ③

शिक्षकों का प्रशिक्षण – सह स्वास्थ्य परीक्षण समय सारणी

क्रमांक	गतिविधि	जिम्मेदार व्यक्ति	समय
1	रजिस्ट्रेशन	बी.ई.ओ. / बी.आर.सी. द्वारा / संकुल प्राचार्य / जनशिक्षक के माध्यम से जन शिक्षा केन्द्रवार / संकुलवार	सुबह 08:00 से 09:00 बजे तक
स्वल्पाहार			
2	स्वास्थ्य परीक्षण	बी.एम.ओ. एवं अन्य चिकित्सक दल	सुबह 09:00 से सांय 06:00 बजे तक
दोपहर का भोजन 01:00 से 02:00 बजे तक			
3	दक्षता संवर्धन कार्यक्रम की समीक्षा एवं समस्या समाधान	प्राचार्य डाईट का संबंधित स्टाफ	दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक
चायकाल 03:00 से 03:30 बजे तक			
4	उत्कृष्ट शिक्षकों का सम्मान	मुख्य अतिथि द्वारा	04:30 से सांय 05:30 बजे तक
5	उद्बोधन मुख्य अतिथि	मान. मंत्री जी / मान. सांसद जी / मान. विधायक जी / मान. अध्यक्ष जिला पंचायत एवं अन्य जिसे सक्षम अधिकारी चिन्हित करे	05:30 से सांय 06:00 बजे तक

GENERAL CHECKUP

Name of School : ______________________________

Village : ____________________ Tehsil : ____________________

2 - Name of Teacher : ____________________ Designation ____________

Age : ____________ Approx : ____________ Actual : ____________ Sex : ____________

3 - Height : ____________ Weight : ____________ Chest : ____________ Ux/Uuex

4 - General appearance : ____________ Healthy : ____________ Weak : ____________

5 - Eyes ____________ Coup / (Poller anaemic) ____________ Coruea ____________ Normally Opacity

6 - Vision ____________ RE ____________ LE ____________

7 - Spects of any ____________ Yes / No

8 - Near Vision : Normal / Needs Spects ____________

9 - Any Dezor with of body : ____________

10 - Teeth Gums : Coated ____________ Neotur\DeoturN ____________ Cosies ____________

11 - Tongue : Clean ____________ Red ____________ Ulcer ____________

12 - Speech : Deef / Normally ____________

13 - Nails : Pink ____________ White ____________ Poller ____________ or Any Deformaticy

14 - Lungs : ____________

15 - Resp. : ____________

16 - Hb sound : ____________

17 - B P : ____________

18 - Personal Hobbies : ______ Tobacco ____________ Smoking ____________ Alcoholic ____________

19 - H/o : Diabeties ____________ Hypertension ____________ Asthamatic ____________

20 - Remark :

....

....

....

....

....

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

____

Doctor Signature